# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 17/330

1. रामलाल आत्मज श्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम व तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. बाबू आत्मज श्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम व तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत रजलावता पंचायत समिति नैनवा द्वारा प्रशासक ग्राम पंचायत रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 14.02.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा एवं धारा 136 एलआर एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पंचायत रजलावता में एक सार्वजनिक तालाब स्थित है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में किस्म पेटा तालाब कुल किता 16 की रकबा 55 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादी अपने अधिकारों के उपयोग व उपभोग में उक्त भूमि को नीलाम करती आयी है और पंचायत कोष में वृद्धि करती आयी है । उक्त भूमि प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 ने इंतकाल संख्या 444 दिनांक 10.02.1992 के द्वारा अवैधानिक एवं अनाधिकृत रूप से अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा ली । वादग्रस्त आराजी राजस्थान पंचायत अधिनियम व इस सम्बन्ध में सक्षम राज्य सरकार के वैध आदेश द्वारा वादी ग्राम पंचायत रजलावता को स्वत्वधारी की हैसियत से भूमि

का स्वत्व, अधिकार और आधिपत्य वादी में निहित कर दिया । तब से ही वादी अपने अधिकारों व आधिपत्य का शंतिपूर्वक और वैध उपेयाग एंव उपभोग करती आ रही है । वादी को जानकारी प्राप्त हुई कि प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के स्वर्गीय पिता श्री गोपाल आत्मज माधो ने अपने नाम अनाधिकृत व अवैधानिक रूप से आवंटन करवा लिया और अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया । उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है । राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 व राज्य सरकार के आदेशानुसार तालाब पेटे की भूमि का नियमानुसार आवंटन नहीं किया जा सकता । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वे वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को बेचान नहीं करे किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करें एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 अथवा उनके स्वर्गीय पिता श्री गोपाल के नाम के प्रभावशून्य अनाधिकृत व अवैधानिक इन्द्राजात को हटाया जाकर स्वत्वधारी के रूप में वादी के नाम का इन्द्राज पूर्ववत जमाबन्दी संवत् 155 के कॉलम नम्बर 05 की प्रविष्टी के मुताबिक स्वत्वधारी के रूप में अंकित करवाया जावे । प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के स्वत्व अधिकार व आधिपत्य की भूमि का बेचान नहीं करें, किसी भी रूप में हस्तान्तरित या खुर्द–बुर्द नहीं करे और न ही नये सिरे से कब्जा करें ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.04.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 01 व 02 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि राज्य सरकार को समय अनुसार भूमि की तत्समय के उपयोग को देखकर भूमि की किस्म को परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त है । राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस सम्बन्ध में परिपत्र भी जारी किये हैं । वादग्रस्त आराजी विधिक रूप आवंटन नियमों के तहत नियमानुसार आवंटित कर कब्जा सुपुर्द किया गया है जो अपीलान्ट के पिता गोपाल की खातेदारी व कब्जे काश्त में भी दर्ज हो चुकी है और अपीलान्ट के पिता गोपाल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि अपीलान्ट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा कोई दस्तावेजी एवं प्रबल सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता । आवंटन के सम्बन्ध में आक्षेप करने के प्रावधान राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम व तत्सम्बन्धी आवंटन नियमों में स्पष्ट रूप से प्राविदित किये गये है जिसके कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के तहत वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कानूनन मेन्टेनेबल न होने से धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्णतया बाधित है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से वाद डिक्री किया है । ग्राम पंचायत को किसी तालाब के सम्बन्ध में अधिकारों को लेकर राजस्व न्यायालय के यहॉ कोई भी वाद राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम के तहत पोषनीय नहीं है । कोई भी ग्राम पंचायत किसी तालाब पर अपने अधिकारों व उसके उपयोग उपभोग के सम्बन्ध में केवल सक्षम सिविल न्यायालय के यहॉ ही घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सकती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत क्षेत्राधिकारविहिन वाद को स्वीकार करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते में पिछले 50 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी उनके अभिभाषक द्वारा बताने पर हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 30.06.2017 को प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था और यह कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी पर पंचायत अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है । प्रतिवादी संख्या 01 और 2 के नाम खातेदार के रूप में नामान्तरकरण संख्या 444 दिनांक 10.02.1992 से जो आराजी दर्ज की गई है वो अवैध है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा जवाबदावा पेश किया गया । वादग्रस्त आराजी अपीलान्टगण को विधि सम्मत रूप से आवंटित की गई है और अपीलान्टगण के खाते में दर्ज है । पंचायत को सीधे ही इस आराजी के बाबत् हक घोषणा का दावा पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । यदि पंचायत को अपीलान्ट के पक्ष में हुए आवंटन से कोई आपत्ति है तो आवंटन आदेश को निरस्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है । अपीलान्ट के खाते की आराजी को अपीलाधीन निर्णय से विधि – विरूद्ध रूप से रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है जो खारिज होने योग्य है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट खातेदार कृषक एवं काबिज काश्त है । राजनैतिक द्वेषतावश पंचातय के द्वारा यह दावा पेश किया गया था जो खारिज होने योग्य था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी तालाब एवं तालाबी है और राजस्व रिकॉर्ड में हवाला सरकार तहत ग्राम रजलावता दर्ज थी । गैर मु0 तालाब एवं तलाबी आराजी का आवंटन नहीं किया जा सकता है । आवंटन एवं उसके उपरान्त खातेदारी पूर्णतः अवैध था । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2018–22 ग्राम पंचायत रजलावता नया खाता संख्या 155 प्रदर्श– 1 पेश की है जिसके अनुसार कुल 16 किता की 55 बीघा 14 बिस्वा आराजी हवाला सरकार तहत ग्राम रजलावता के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2028–47 भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श– 02 पेश की है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 181 कुल 14 किता की 41 बीघा 15 बिस्वा आराजी हवाला सरकार तहत ग्राम पंचायत रजलावता के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2044–47 प्रदर्श– 03 पेश की है जिसके अनुसार कुल 13 किता की 41 बीघा 08 बिस्वा भूमि हवाला सरकार तहत ग्राम पंचायत रजलावता के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 4 के अनुसार गोपाल वल्द माधो के खाते में साबिक खसरा नम्बरान की कुल 04 किता की 13 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2044–47 प्रदर्श – 5 पेश की है जिसके अनुसार गोपाल पुत्र माधो के खाते में कुल 05 किता की 13 बीघा 14 बिस्वा आराजी है । प्रदर्श– 6 एवं 7 मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिसके अनुसार नये खसरा नम्बर 689 के साबिक खसरा नम्बर 547 मिन और हाल ख्सरा नम्बर 695 के साबिक खसरा नम्बर 552, हाल खसरा नम्बर 696 के साबिक खसरा नम्बर 553, हाल खसरा नम्बर 698 के साबिक खसरा नम्बर 557 और हाल खसरा नम्बर 699 के साबिक खसरा नम्बर 558 दर्ज हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2035–38 नया खाता संख्या 53 प्रदर्श– ए–1 पेश की है जिसके अनुसार कुल 05 किता की 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि गोपाल पुत्र माधो के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2039–43 प्रदर्श – ए–2 पेश की है जिसके अनुसार कुल 05 किता की 13 बीघा 19 बिस्वा आराजी गोपाल पुत्र माधो के खाते में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2036–39 प्रदर्श– ए–3 पेश की है । इसके अलावा नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2040–43 प्रदर्श–ए–4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– ए–5, नकल रसीद प्रदर्श–ए–6 से लेकर प्रदर्श–ए–09 एवं बेचान इकरारनामा प्रदर्श– ए–10 पेश किये गये हैं ।

14. वादी की ओर से बयान रतन पीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

15. प्रतिवादी की ओर से बयान रामलाल व रामरतन कराये गये हैं ।

16. अपीलान्ट के पिता के खाते में जो आराजी मुताबिक नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 05 एवं प्रदर्श–ए–2 दर्ज है वो हाल खसरा नम्बर 689, 695, 696, 698 और 699 कुल 05 किता की 13 बीघा 19 बिस्वा है । मुताबिक मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 06 एवं 07 तथा प्रदर्श– ए–5 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 689 का साबिक खसरा नम्बर 547 मिन, हाल खसरा नम्बर 695 का साबिक खसरा नम्बर 552, हाल खसरा नम्बर 696 का साबिक खसरा नम्बर 553, हाल खसरा नम्बर 698 का साबिक खसरा नम्बर 557 और हाल खसरा नम्बर 699 का साबिक

खसरा नम्बर 558 है । मुताबिक नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 साबिक खसरा नम्बर 547, 552, 553, 557 और 558 हवाला सरकार तहत ग्राम पंचायत रजलावता दर्ज है और इसकी किस्म पेटा गै0मु0 दर्ज है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श–02 के अनुसार हवाला सरकार तहत ग्राम पंचायत रजलावता जो आराजी दर्ज की गई है उसकी किस्म भी गै0मु0 तालाब एवं तालाबी दर्शायी गई है । ऐसी आराजी जिसकी किस्म पेटा गै0मु0 तालाब एवं तालाबी है उसका आवंटन नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में गोपाल जो कि अपीलान्टगण के पिता हैं, के पक्ष में किया गया आवंटन अवैध होने से उनको वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी डिक्री किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2017 बहाल रखा जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/2/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

# अपील में डिक्री

## (आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

## राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

### बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या : 17/330**

1. रामलाल आत्मज श्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम व तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. बाबू आत्मज श्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम व तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

**——अपीलार्थी**

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत रजलावता पंचायत समिति नैनवा द्वारा प्रशासक ग्राम पंचायत रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।

**——प्रत्यर्थी**

**बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।**

**वाद संख्याः 53/दावा/1992**

ग्राम पंचायत रजलावता पंचायत समिति नैनवा द्वारा प्रशासक ग्राम पंचायत रजलावता तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——वादी

**बनाम**

1. रामलाल आत्मज श्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम व तहसील नैनवा जिला बून्दी।

2. बाबू आत्मज श्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम व तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीयुत जिला कलक्टर महोदय बून्दी ।

——प्रतिवादी

# अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.02.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 14.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

14/2/2020

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा